

## गोल्ड लोन आवेदन फॉर्म



सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड

(शाखा का नाम)

मैं/हम एतद्द्वारा एतद्द्वारा बैंक से अनुरोध करते हैं कि आवेदन प्रपत्र में नीचे यथा विनिर्दिष्ट रूप से सोने के गहनों/जेवरात की प्रतिभूति पर  
/ - (रुपए ) का गोल्ड लोन संस्वीकृत किए जाने के लिए मेरे आवेदन पर विचार करें:

कर्जदार का फोटोग्राफ

| लोन संबंधी विवरण    |            |               |
|---------------------|------------|---------------|
| लोन की धनराशि (रु.) | CUID नंबर: | आवेदन संख्या: |
|                     |            |               |

कर्जदार का व्यक्तिगत विवरण:

कर्जदार का नाम: जन्म तिथि: DDMMYY

पैन कार्ड: नंबर/फॉर्म: वर्तमान निवास में बिताए गए वर्ष:

लिंग: योग्यता:

वैवहिक स्थिति: पत्राचार का पता:

राज्य: नगर: जिला: पिनकोड:

लैंडमार्क: स्थायी पता:

राज्य: नगर: जिला: पिनकोड:

ईमेल: संपर्क नंबर:

व्यवसाय: वार्षिक सकल आय: राष्ट्रीयता:

पिता का नाम: जीवनसाथी का नाम:

नामांकित व्यक्ति संबंधी विवरण:

नामांकित व्यक्ति का नाम: नामांकित व्यक्ति का फोन नंबर:

नामांकित का संबंध:

नामांकित का पता:

बैंक के विवरण:

बैंक नाम: बैंक शाखा:

बैंक अकाउंट नंबर: IFSC कोड:

C-KYC नंबर:

व्यक्तिगत: १) फोटो पहचान पत्र २) बैंक की KYC नीति के अनुसार आवास का प्रमाण.

| गिरवी रखे गए सामान का विवरण |                    |                     |            |                        |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------|
| मात्रा                      | सकल भार<br>(ग्राम) | निवल भार<br>(ग्राम) | पैकेट नंबर | जेवरात का<br>फोटोग्राफ |
|                             |                    |                     |            |                        |

मैं/हम घोषणा करते हैं और समझते हैं कि पूर्व में बताए अनुसार सोने की शुद्धता कम से कम १८ कैरेट है। तथापि, शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (इसे "बैंक" कहा गया है) द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा इसकी पुनःपुष्टि की जाएगी और उनका निर्णय मुझ/हम पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। गिरवी रखे सोने का मूल्य इंडिया बुलियन और ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. (पहले इसे बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लि. (बीबीए) कहा जाता था) द्वारा गत ३० दिनों हेतु कोट किए अनुसार २२ कैरेट के क्लोजिंग प्राइस के औसत के अनुसार परिकलित किया गया है।

कर्जदार के हस्ताक्षर

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित

गोल्ड लोन आवेदन फॉर्म की पावती (यह कर्जदार को दी जानी है)

प्रिय महोदय/महोदया,

यह उपर्युक्त गोल्ड लोन आवेदन फॉर्म प्राप्त होने की रसीद है। हमारा प्रयास है कि लोन के आवेदन पर ३ दिनों के भीतर प्रक्रिया हो, बशर्ते बैंक द्वारा अपेक्षित रूप में समस्त आवश्यक प्रलेख प्रस्तुत कर दिए गए हों।

गोल्ड डिपॉजिट रसीद

दिनांक:

CUID नंबर: \_\_\_\_\_ कर्जदार का नाम: \_\_\_\_\_

प्राथमिक संपर्क नंबर: \_\_\_\_\_ शाखा का कोड: \_\_\_\_\_

शाखा का नाम: \_\_\_\_\_ शाखा का पता: \_\_\_\_\_

कर्जदार का फोटोग्राफ

गहनों/जेवरात का फोटोग्राफ

| गिरवी रखे गए सामान का विवरण |                    |                     |            |                        |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|------------|------------------------|
| मात्रा                      | सकल भार<br>(ग्राम) | निवल भार<br>(ग्राम) | पैकेट नंबर | जेवरात का<br>फोटोग्राफ |
|                             |                    |                     |            |                        |

यह इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड प्रलेख है और इसमें बैंक के प्रतिनिधि के किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

कर्जदार के हस्ताक्षर

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित

### स्वीकृत नियम एवं शर्तें

- ए) नीचे बताए गए गोल्ड लोन की संस्वीकृति हेतु हमने आवेदन प्रपत्र दिनांक: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ का अवलोन किया।
- बी) मैं/हम यह स्वीकार करते हैं और पुष्टि करते हैं कि लोन के लिए आवेदन में नीचे लिखी सबसे महत्वपूर्ण शर्तें और निबंधन हैं (और बैंक द्वारा लोन का अनुरोध स्वीकार किए जाने पर ये कर्जदार पर लोन के संबंध में लागू होंगी) तथा इन्हें आवेदन प्रपत्र (एकाधिक) और मानक शर्तों (गोल्ड लोन) के साथ जोड़ कर पढ़ा जाएगा:
- कर्जदार का नाम:—
  - लोन का प्रकार: सोने के गहनों/जेवरात के बदले में लोन
  - स्कीम:
  - ऋण राशि: **रु.**
  - ऋण की अवधि: \_\_\_\_\_ मास (मानक शर्तों के अधीन)
  - इसे चुकाए जाने संबंधी बारंबारता:
  - प्रक्रिया शुल्क +जीएसटी: **रु.**
  - ब्याज की दर: \_\_\_\_\_% प्रति वर्ष
  - ब्याज की दर का प्रकार: **फिक्सड**
  - आकलन का तरीका: **सरल ब्याज**
  - संवितरण की तारीख:
  - अतिदेयता शुल्क:**
  - लोन परिपक्वता तिथि: (मानक शर्तों के अधीन)
  - प्रयोजन:
  - बीमा शुल्क:
  - वार्षिकीकृत प्रतिशतता दर:
  - फोरक्लोजर चार्जज: **ऋण स्वीकृति राशि का \_\_\_\_\_% तक।**
  - गिरवी रखा हुआ सामान:** सोने के गहनों/जेवरात को ऋण की प्रतिभूति के तौर पर बैंक में जमा कर दिया गया है और गिरवी रखे गए सामान में निहित सोने का घटक ही मूल्यांकन हेतु दृष्टिगत रखा जाएगा।
  - मार्जिन:** “कर्जदार इस बात के लिए सहमत है कि बैंक को यह अधिकार होगा कि वह गोल्ड सिक्थोरिटी की कीमत गिरने के कारण मार्जिन/लोन टू वैल्यू रेशियो में कोई कमी आने पर कर्जदार के खाते(खातों) से डेबिट कर सकेगा”

“निरंतर रूप से यह माना जाएगा कि कर्जदार ने ऐसा आश्वासन दिया है और ऐसी स्वीकृति प्रदान की है कि: (i) बैंक द्वारा जारी मंजूरी पत्र में निर्धारित मार्जिन/लोन टू वैल्यू रेशियो को लोन की पूरी अवधि तक बनाए रखा जाएगा, और यदि निर्धारित प्रतिशत के संदर्भ में उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो कर्जदार बैंक की संतुष्टि के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा या बैंक द्वारा जारी की गई ऐसी सलाह का अनुपालन करेगा”

नीलामी: शर्तों को भंग किए जाने पर बैंक अपनी नीति के अनुसार गोल्ड यानी सोने की नीलामी कर सकेगा।

| शुल्क सारणी (कर के अलावा) |                    |
|---------------------------|--------------------|
| विवरण                     | शुल्क              |
| प्रक्रिया शुल्क + जीएसटी  | रु. _____          |
| चार्जज नीलामी             | वास्तविक के अनुसार |
| SOA जारी करने का शुल्क    | लागू नहीं          |

- सी) मैं/हम अभिस्वीकृति देते हैं और पुष्टि करते हैं कि हमें ऋण प्रलेखों की एक प्रति मिल गई है।
- डी) कर्जदार समझता है कि सभी भुगतान रसीदें केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की जाती हैं। हालांकि, यदि भौतिक भुगतान संबंधी पुष्टिकरण की आवश्यकता हो, तो नाममात्र शुल्क का भुगतान करके हमारी शाखा से इसे प्राप्त करें।
- ई) “बैंक” अभिव्यक्ति से आशय, जब तक संदर्भ से भिन्न न होगा तब तक इसका अर्थ यह समझा जाएगा और इसमें इसके उत्तराधिकारी और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे, तथा “कर्जदार” अभिव्यक्ति का आशय, जब तक या इसके अर्थ या संदर्भ से भिन्न न होगा तब तक इसका अर्थ यह समझा जाएगा और इसमें कानूनी वारिस, निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, और नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे।
- एफ) मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करते हैं और सहमत हैं कि मैं/हम आवेदन प्रपत्र (प्रपत्रों) प्रस्तुत करके ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं और शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड (इसे “बैंक” कहा गया है) इस ऋण(ऋणों) (प्रत्येक “ऋण”) हेतु सहमत हो सकता है जो कि आवेदन प्रपत्र(प्रपत्रों) के साथ पठित शर्तों और निबंधनों (मानक शर्तें) और पक्षों के बीच (इन्हें एक साथ “ऋण प्रलेख” कहा गया है) लिए-दिए गए कोई अन्य प्रलेखों द्वारा शासित होगा। कैपिटल शब्दों का प्रयोग किया गया है लेकिन जिनकी परिभाषा यहां नहीं दी गई है उनका अर्थ वही होगा जो कि आवेदन प्रपत्र में दिया गया होगा तथा जो ऋण प्रलेखों की शर्तों और निबंधनों में लिखा गया होगा। मैंने एतद्वारा यहां लिखी मानक शर्तों सहित इस ऋण(ऋणों) को शासित करने वाली सभी शर्तों और निबंधनों को मैंने पढ़ लिया है और समझ लिया है और मैं इनसे सहमत हूं तथा मैं इन्हें स्वीकार करता हूं तथा इनकी अभिस्वीकृति देता हूं।
- जी) शर्तों और निबंधनों को मेरे द्वारा या तो इलेक्ट्रॉनिकली या फिर मेरे बैंक द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को सत्यापित कर स्वीकार किया गया है, या फिर शाखा में भौतिक प्रलेख पर हस्ताक्षर कर स्वीकार किया गया है। मैं ओटीपी द्वारा या भौतिक हस्ताक्षर कर ऐसे सत्यापन को समझता हूं और इन शर्तों तथा निबंधनों को स्वीकार करने का अंतिम प्रमाण होंगे और यह मेरे लिए बाध्यकारी होंगे।

कर्जदार के हस्ताक्षर

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित

### सामान्य नियम एवं शर्तें

#### १. ऋण संवितरण

- १.१ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक मेरे द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के आधार पर गिरवी रखी गई वस्तुओं पर ऋण दे सकता है।
- १.२ मैं/हम समझते हैं, सहमत हैं और इसके द्वारा बैंक से अधिकतम १२ महीने की अवधि के लिए ऋण देने का अनुरोध करते हैं, जो समय-समय पर लागू बैंक की नीति के अधीन है। हालाँकि, मैं समझता हूं और सहमत हूं कि ऋण का प्रारंभिक अनुदान केवल आवेदन पत्र में निर्धारित अवधि (ऋण परिपक्वता तिथि के साथ) के लिए होगा। नवीनीकरण नीति के अनुसार ऋण का नवीनीकरण बैंक के विवेक पर अलग से किया जाएगा।
- १.३ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि यदि बैंक ऋण के लिए मेरे अनुरोध को स्वीकार करता है और ऋण स्वीकृत करता है, तो बैंक मेरे बैंक खाते में ऋण संवितरित कर सकता है।

## २. ब्याज, अन्य अतिदेयता शुल्क और भुगतान:

- २.१ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि ऋण पर ब्याज और शुल्क ऋण दस्तावेज़ में निर्दिष्ट अनुसार लिया जाएगा और मैं स्वीकार करता हूँ और सहमत हूँ कि निर्दिष्ट ब्याज दर उचित है और बैंक द्वारा बताई गई है।
- २.२ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि ऋण के संबंध में सभी कर, शुल्क, ड्यूटी (स्टैम्प शुल्क सहित) और प्रासंगिक पंजीकरण और फाइलिंग शुल्क (जैसा लागू हो) मेरे द्वारा वहन किया जाएगा और यदि मेरे खाते पर ऐसी कोई लागत बैंक द्वारा वहन की जाती है तो मैं तुरंत बैंक को इसकी प्रतिपूर्ति करूंगा।
- २.३ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि ब्याज वास्तविक या घटी हुई शेष राशि पर लिया जाएगा, यह मानते हुए कि ३६५/३६६ दिनों का वर्ष लागू होगा और जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो ब्याज मासिक अंतराल पर देय होगा।
- २.४ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि मैं ऋण के सभी संवितरण/ऋण का पुनर्भुगतान/ब्याज का भुगतान और अन्य सभी लेनदेन (मुक्त रूप से हस्तांतरणीय निधि में, बिना किसी सेट-ऑफ, काउंटर क्लेम या किसी कटौती के) संबंधित नियत तारीख पर या उससे पहले करूंगा। और यदि नियत तारीख कोई व्यावसायिक दिन नहीं है, तो मैं उस दिन से पहले के व्यावसायिक दिन पर भुगतान करने के लिए सहमत हूँ।
- २.५ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि मेरे द्वारा बैंक को दी गई गिरवी रखी गई वस्तुएं और कोई अन्य सुरक्षा, मेरे द्वारा बैंक को उक्त बकाया राशि का पूरा भुगतान करने पर ही जारी की जाएगी।

## ३. गिरवी रखी हुई वस्तुएं:

- ३.१ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि हम/मैं पूर्ण मालिक हैं और सोने के निश्चित आभूषणों/जेवरात (ऐसे आभूषणों/जेवरात से जुड़े किसी भी पत्थर या हीरे के साथ) पर सही कब्जा रखते हैं, जिन्हें प्रथम और विशेष प्रभार (गिरवी रखी गई वस्तुएं) के तरीके से एक सीलबंद पैकेट में बैंक के पास गिरवी रखा गया है और बैंक के पक्ष में बनाए गए प्रभार के अलावा उस पर कोई ग्रहणाधिकार, बाधा, प्रभार या दावा नहीं है।
- ३.२ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक द्वारा बिना कोई नोटिस या सूचना दिए, ऋण की अवधि के दौरान ऐसे सीलबंद पैकेट खोलने और गिरवी रखी गई वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में जांच करने का अधिकार होगा (इसमें पिघलाना/काटना/गिरवी रखी वस्तुओं को तोड़ कर की जाने वाली जांचें या अन्य जांचें शामिल हैं किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) ये मेरे जोखिम और खर्च पर होंगी, किसी भी समय की जा सकेंगी और मैं एतद्वारा इस हेतु अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मैं समझता हूँ, सहमत हूँ और वचन देता हूँ कि बैंक के निष्कर्ष अंतिम और बाध्यकारी होंगे और मैं किसी भी तरह से उस पर विवाद नहीं करूंगा।
- ३.३ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि मेरे द्वारा बैंक के पास गिरवी रखी गई वस्तुएं एवं कोई अन्य सुरक्षा बैंक की संतुष्टि के अनुसार मेरे द्वारा बकाया राशि का पूरा भुगतान करने पर ही मुझे लौटाई जाएंगी।
- ३.४ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि गिरवी रखी गई वस्तुओं पर मेरा स्वामित्व किसी भी तरह से दोषपूर्ण या चुनौतीपूर्ण नहीं है और न ही यह वस्तुएं नकली या घटिया गुणवत्ता की हैं।
- ३.५ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि चोरी, संधमारी आदि के कारण गिरवी रखी गई वस्तुओं के नुकसान की स्थिति में, बैंक का दायित्व गिरवी रखी गई वस्तुओं के बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार सोने के मूल्य (हीरे और पत्थरों के वजन को घटाए जाने के बाद) के बराबर, बैंक को देय समस्त बकाया को समायोजित किए जाने के बाद शेष नकद राशि की भरपाई करने तक सीमित है। प्रतिस्थापन लागत की गणना वजन और शुद्धता के आधार पर की जाएगी (जैसा कि बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है) और प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार इसे सोने की वर्तमान तारीख की कीमत से गुणा किया जाएगा और वही मेरे लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- ३.६ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों जैसे कि आग, बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण गिरवी रखे गए सामानों के किसी भी नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसी स्थिति में, मुझे/हमें केवल वही मुआवजा मिलेगा जो यदि और जब बीमा दावे के निपटान से बैंक को मिले।

## ४. गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्यांकन:

- ४.१ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्यांकन बैंक द्वारा अधिकृत और नियुक्त एक परखकर्ता द्वारा किया जाएगा और ऋण राशि बैंक द्वारा गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो कि परखकर्ता द्वारा समय-समय पर संशोधित और बैंक द्वारा निर्धारित और समय-समय पर बैंक द्वारा तय किए गए मार्जिन को दृष्टिगत रखने के बाद, परखकर्ता द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन रिपोर्ट में गिरवी रखी वस्तुओं के मूल्य के आधार पर बैंक द्वारा ऋण की धनराशि तय की जाएगी यह मूल्य गिरवी रखी गई वस्तुओं के समय-समय पर बाजार मूल्य के अधीन होगी। गिरवी रखे गए सोने का मूल्य समय-समय पर परिवर्तनाधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा विहित रूप से इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन लि. (पहले इसे बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लि. (बीबीए) ) कहा जाता था उनके द्वारा यथा उद्धरित रूप से गत ३० दिनों के २२ कैरेट सोने के बंद होने के औसत मूल्य के अनुसार निकाला गया है।
- ४.२ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्य मेरे लिए स्वीकार्य, निर्णायक, अंतिम और बाध्यकारी है और इसे किसी भी समय, किसी भी तरीके से विवादित नहीं किया जाएगा।
- ४.३ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक द्वारा मुझे स्वीकृत किए गए ऋण के आधार पर, इसका मतलब यह नहीं हो जाता है कि बैंक गिरवी रखे गए सोने के आभूषण/जेवरात की एक विशेष कैरेट शुद्धता संबंधी पुष्टि करता है या इसे स्वीकार करता है।

४.४ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि यदि गिरवी रखे गए सामान नकली या कम शुद्धता वाले या चोरी किए हुए पाए जाते हैं, तो बैंक मेरे खिलाफ उचित जांच/आपराधिक कार्रवाई शुरू करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और मैं इस वजह से बैंक पर आने वाले खर्च और होने वाली हानि के लिए एकाकी रूप से उत्तरदायी रहूंगा।

४.५ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि गिरवी रखी वस्तुओं के किसी भी मूल्यांकन उद्देश्य के लिए केवल सोने के घटक पर ही विचार किया जाएगा और बैंक गुम हुई गिरवी रखी वस्तुओं की प्रतिस्थापना के समय सहित किसी भी समय सोने के आभूषणों/जेवरात में लगे पत्थर या हीरे के मूल्य पर विचार नहीं करेगा।

#### ५. मार्जिन:

५.१ "कर्जदार इस बात के लिए सहमत है कि बैंक को यह अधिकार होगा कि वह गोल्ड सिक्कोरिटी की कीमत गिरने के कारण मार्जिन/लोन टू वैल्यू रेशियो में कोई कमी आने पर कर्जदार के खाते(खातों) से डेबिट कर सकेगा"

"निरंतर रूप से यह माना जाएगा कि कर्जदार ने ऐसा आश्वासन दिया है और ऐसी स्वीकृति प्रदान की है कि: (i) बैंक द्वारा जारी मंजूरी पत्र में निर्धारित मार्जिन/लोन टू वैल्यू रेशियो को लोन की पूरी अवधि तक बनाए रखा जाएगा, और यदि निर्धारित प्रतिशत के संदर्भ में उसमें कोई परिवर्तन हुआ तो कर्जदार बैंक की संतुष्टि के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करेगा या बैंक द्वारा जारी की गई ऐसी सलाह का अनुपालन करेगा"

५.२ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य की नियमित आधार पर निगरानी की जाएगी और यदि गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्य मार्जिन आवश्यकताओं से कम हो जाता है, तो बैंक आनुपातिक वजन/मूल्य की अतिरिक्त सुरक्षा बनाने या ऋण के आंशिक या पूर्ण पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है और ऐसी मांग पर मैं तुरंत अपेक्षा का अनुपालन करूंगा।

५.३ मैं/हम समझते हैं कि यहां उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद, यदि मेरे द्वारा नियत तिथि के भीतर ब्याज/शुल्क सहित ऋण राशि चुकाने में या मार्जिन आवश्यकताओं में कमी की राशि का भुगतान करने में कोई चूक होती है, तो गिरवी रखी गई वस्तुओं के मूल्य की जैसा कि बैंक द्वारा मांग की गई है या कोई भी परिस्थिति इन नियमों और शर्तों के तहत मेरे दायित्वों को पूरा करने की मेरी क्षमता को प्रभावित कर सकती हों तो बैंक के पास मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने और/या ऋण की अवधि समाप्त होने से पहले भी, मेरे आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते पर मुझे ७ दिन पहले नोटिस देकर किसी भी समय नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से गिरवी रखी गई वस्तुओं को बेचने का वैध अधिकार है। मैं इससे सहमत हूँ और सहमति देता हूँ और किसी भी समय किसी भी तरीके से इस पर विवाद नहीं करूंगा।

५.४ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि किसी भी सामान्य ग्रहणाधिकार या इसी तरह के अधिकार के अलावा, जिसके लिए बैंक के रूप में बैंक कानून द्वारा हकदार हो सकता है, बैंक किसी भी समय और मुझे/हमें नोटिस दिए बिना मेरे सभी या किसी भी हिस्से को संयोजित या संघटित कर सकता है या बैंक के पास मेरे/हमारे खाते और बैंक को देनदारियां और ऐसे किसी भी एक या अधिक खातों में जमा किसी भी राशि या रकम को किसी अन्य खाते में बैंक के प्रति मेरी/हमारी किसी भी देनदारी की पूर्ति के लिए या किसी अन्य संबंध में सैट ऑफ या हस्तांतरित कर सकता है, चाहे ऐसी देनदारियां वास्तविक हों या आकस्मिक, प्राथमिक या संपार्श्विक और एकाधिक या संयुक्त हों।

#### ६. अनुबंध:

६.१ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि मैं अपने द्वारा ऋण दस्तावेजों के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करने या ऋण या गिरवी रखी गई वस्तुओं के संबंध में कोई गलत बयानी करने के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले सभी नुकसानों, खर्चों, शुल्कों, क्षतियों, लागतों और देनदारियों (तीसरे पक्ष के दावों सहित) के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति दूंगा, क्षतिमुक्त रखूंगा और निरापद रखूंगा। मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मैं बीमा लागत, प्रवर्तन लागत, सभी बकाया करों के भुगतान और सरकार के किसी भी अन्य शुल्क आदि सहित ऋण(णों) के संबंध में हर लागत और व्यय की प्रतिपूर्ति बैंक को बिना किसी देरी, आपत्ति या विरोध के प्रतिपूर्ति करूंगा।

६.२ मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मैं इन धन राशि का उपयोग किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए नहीं करूंगा, (जिसमें प्राथमिक सोना, सोने की छड़े, सोने के आभूषण/गहने, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयां शामिल हैं)। मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मैं ऋण की राशि का उपयोग ऋण आवेदन में बताए गए उद्देश्य के लिए ही करूंगा।

६.३ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि ऋण दस्तावेजों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इस ऋण व्यवस्था के तहत मेरे/हमारे द्वारा किया गया कोई भी भुगतान बैंक द्वारा निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाएगा:

- ए) मूलधन की वसूली;
- बी) भुगतान योग्य ब्याज और देय तथा भुगतान योग्य सभी धनराशियां।
- सी) लागत, शुल्क और व्यय।

६.४ मैं/हम ऋण आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई जानकारी में किसी भी बदलाव या संशोधन होने पर बैंक को तुरंत लिखित रूप से सूचित करने के लिए सहमत हूँ।

६.५ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि मैं समय-समय पर बैंक द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज/जानकारी प्रस्तुत करूंगा और बैंक स्वयं या अपने एजेंटों के माध्यम से किसी भी जानकारी, क्रेडिट संदर्भ, रोजगार विवरण को सत्यापित कर सकता है और क्रेडिट रिपोर्ट या समय-समय पर बैंक द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली कोई अन्य जानकारी प्राप्त कर सकता है।

७. **चूक यानी डिफॉल्ट की घटनाएं:** मैं समझता हूँ, सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि निम्नलिखित में चूक यानी डिफॉल्ट की घटनाएं शामिल होंगी:

- ७.१ लेन-देन दस्तावेजों के तहत किसी भी राशि का भुगतान/पुनर्भुगतान (चाहे नियत तारीख पर, एक्सेलेशन के तहत या अन्यथा) करने में डिफॉल्ट होना।
- ७.२ यदि मैंने किसी भी अनुबंध के निष्पादन में (भुगतान डिफॉल्ट के अलावा) चूक की है और उल्लंघन के ३ (तीन) दिनों के भीतर समाधान नहीं किया जाता है।
- ७.३ मुझे यह उचित आशंका है या है कि मैं स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से किसी दिवालियापन या दिवाला कानून के तहत कार्यवाही का विषय बन जाता हूँ या बन सकता हूँ।
- ७.४ मेरी मृत्यु, या मेरा संविधान में परिवर्तन जो ऋणदाता की सहमति के बिना किया गया हो।
- ७.५ आभूषणों की चोरी या आभूषणों की चोरी के किसी भी संदेह के आधार पर गिरफ्तारी या जेल में कैद करना।
- ७.६ ऋण के लिए दी गई कोई भी सुरक्षा, यदि कोई हो, खतरे में है या प्रभावी रूप से समाप्त हो गई है।
- ७.७ यदि मेरे द्वारा यहां दिया गया कोई भी अभ्यावेदन या बयान या विवरण असत्य, भ्रामक या गलत पाया जाए।
- ७.८ यहां और/या मंजूरी पत्र, सुरक्षा दस्तावेजों, ऋण दस्तावेजों आदि में निहित किसी भी नियम और शर्तों, बाध्यकारिताओं, प्रस्तुतीकरणों का उल्लंघन।
- ७.९ कोई भी परिस्थिति या घटना जो ऋण चुकाने या दायित्वों का पालन करने की मेरी/हमारी क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है या कोई भी ऐसी घटना जो बैंक के हित के लिए हानिकारक हो।
- ७.१० गिरवी रखे गए सामान की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी प्रणालीगत धोखाधड़ी का पता चलने पर।
- ७.११ यदि गिरवी रखी गई संपत्ति का मूल्य बाजार मूल्य में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से समय-समय पर निर्धारित आवश्यक मार्जिन से कम हो जाता है। मैं समझता हूँ, सहमत हूँ और स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त में से कोई भी घटना होने पर, ऋणदाता निम्नलिखित कार्य कर सकता है:
  - ए) मुझसे सुविधा की बकाया राशि ब्याज सहित और लेन-देन दस्तावेजों के अनुसार देय सभी राशियों का भुगतान करने के लिए कहा जाएगा।
  - बी) सुविधा के संबंध में और/या बकाया राशि (कानूनी/वकील शुल्क सहित) की वसूली के लिए मेरे और/या लेनदेन दस्तावेजों के तहत किसी भी नियम और शर्तों में मेरी विफलता के कारण किसी भी कार्य या डिफॉल्ट के कारण ऋणदाता द्वारा किए गए सभी दावों, लागतों, हानियों और खर्चों का भुगतान करने के लिए मुझसे कहा जाएगा।
  - सी) गिरवी रखी गई संपत्तियों को नीलामी द्वारा बेचें।
- ७.१२ ऐसी अन्य घटना जो बैंक द्वारा मंजूरी पत्र में या अन्यथा निर्दिष्ट की जा सकती है। कर्जदार द्वारा देय राशि या उसके किसी भी हिस्से को विधिवत चुकाने/भुगतान करने में किसी भी चूक की स्थिति में और/या प्रतिज्ञा समझौते/लेन-देन/सुविधा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार कर्जदार/गिरवीकर्ता द्वारा अपने दायित्वों को पूरा करने में विफलता की स्थिति में, बैंक, कर्जदार/गिरवीकर्ता की सहमति या सहमति की आवश्यकता के बिना, निम्नलिखित में से सभी या कोई भी कार्य करने का हकदार होगा:
  - ए) किसी भी घटना के घटित होने पर, बकाया राशि तुरंत देय हो जाएगी और बैंक को ऋण सुविधा को वापस लेने का पूरी तरह से अधिकार होगा।
  - बी) प्रतिज्ञा का आह्वान देना और लागू करना।
  - सी) सार्वजनिक नीलामी द्वारा या ऐसे तरीके से, ऐसी कीमत पर और ऐसी शर्तों पर और ऐसी शर्तों के अधीन, जो बैंक उचित समझे, गिरवी रखी गई सभी या किसी भी वस्तु को बेचें या अन्यथा निपटान करें।
 बैंक के कब्जे में रहने के दौरान या बिक्री, वसूली या निपटान के दौरान या अन्यथा गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों/गहनों के मूल्य में किसी भी हानि या मूल्यहास के लिए बैंक किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। गिरवी रखे गए सोने के आभूषणों/गहनों की ऐसी मांग और बिक्री कर्जदार/गिरवीकर्ता की लागत पर होगी और इस तरह की मांग और बिक्री से उत्पन्न होने वाली किसी भी कमी की भरपाई कर्जदार/गिरवीकर्ता द्वारा अपनी पूरी लागत, जोखिम और जिम्मेदारी पर बैंक को की जाएगी।
- ७.१३ बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना मेरे द्वारा गिरवी रखी गई वस्तुओं पर कोई प्रभार, ग्रहणाधिकार, गिरवी या कोई भार पैदा करने का कोई भी प्रयास।
- ७.१४ यदि यह पता चलता है कि मूल्यांकनकर्ता और मेरे बीच कोई मिलीभगत है जिसके परिणामस्वरूप सोने के आभूषणों का धोखाधड़ीपूर्ण और त्रुटिपूर्ण मूल्यांकन हुआ है, या यदि बैंक को इस संबंध में उचित संदेह हो।
- ७.१५ यदि मेरे या किसी प्रतिभूति यानी सुरक्षा के विरुद्ध कोई कुर्की, संकट, निष्पादन या अन्य प्रक्रिया प्रवर्तित की जाती है/लगाई जाती है।
- ७.१६ यदि गिरवी रखी गई वस्तुओं का मूल्य बाजार मूल्य में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से समय-समय पर निर्धारित आवश्यक मार्जिन से कम हो जाता है।
- ७.१७ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक द्वारा स्थानीय भाषा में दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर और राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र में एक अन्य विज्ञापन देकर, मुझे ७ व्यावसायिक दिनों का नोटिस देने के बाद नीलामी आयोजित की जाएगी, जिसके लिए मैं सहमत हूँ कि यह भारतीय अनुबंध अधिनियम १८७२ की धारा १७६ के प्रयोजनार्थ एक उचित अवधि है।

मैं समझता हूँ कि,

- नीलामी के समय सोने की कीमत इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लिमिटेड जिसे पहले बॉम्बे बुलियन एसोसिएशन लिमिटेड (बीबीए) के नाम से जाना जाता था द्वारा जारी २२ कैरेट सोने की दर के पिछले ३० दिनों के बंद होने के औसत मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा।
- नीलामी की कीमत बैंक के विवेक के आधार पर होगी, जिसका आधार बैंक की आंतरिक नीति होगी, नीलामी के लिए न्यूनतम २ बोलीदाताओं की आवश्यकता होगी और उच्चतम बोली बैंक द्वारा स्वीकार की जाएगी।

७.१८ मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मुझे पंजीकृत पत्र/कूरियर सेवा, एसएमएस या टेलीफोन या व्यक्तिगत सूचना या ईमेल के माध्यम से या संचार के किसी अन्य माध्यम से गिरवी रखे गए सामान को सार्वजनिक नीलामी के अधीन करने के इरादे के बारे में सूचित किया जाएगा।

७.१९ मुझे/हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों, प्रस्तावों और सेवाओं के बारे में बैंक और/या इसके एजेंट मुझे/हमें किसी भी तरीके से (फोन कॉल, एसएमएस/ईमेल/पत्र आदि सहित) जानकारी प्रदान करें और उपर्युक्त प्रयोजन हेतु बैंक और/या इसके एजेंटों को मैं/हम प्राधिकृत करते हैं। मैं इस बात की पुष्टि करता/ती हूँ कि मुझे इस तरह की जानकारी दिए जाने/पत्राचार आदि किए जाने पर 'टेलीकॉम रैगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया' द्वारा बनाए गए "नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री" में दिए गए, अनचाही जानकारी से संबंधित कानून लागू नहीं होंगे।

७.२० मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि नीलामी बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी।

७.२१ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि गिरवी रखी वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त रकम का उपयोग ऋण के तहत बकाया भुगतान के लिए किया जाएगा। यदि वसूल की गई राशि बकाया राशि को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है, तो बैंक मुझसे शेष राशि ले सकता है और इसकी वसूली के लिए आवश्यक समझी जाने वाली अन्य और आगे की कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, यदि प्राप्त राशि कुल देय राशि से अधिक है, तो लागू समस्त बकाया राशि को समायोजित करने के बाद अतिरिक्त राशि मुझे वापस कर दी जाएगी।

७.२२ मैं/हम यह समझते हैं और सहमत हैं कि चूक करने की दशा में, बैंक को यह पूरा अधिकार होगा कि वह मेरे बारे में और मेरे द्वारा की गई चूक के बारे में सोशल मीडिया के माध्यम से तथा इस सहित पब्लिक डोमेन में यानी सार्वजनिक रूप से यह जानकारी उजागर या प्रकाशित कर सके।

७.२३ किसी भी कानून या अनुबंध के तहत उपलब्ध किसी भी अधिकार को लागू करना।

## ८. अतिरिक्त सुविधाएं:

८.१ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि मैं ऑनलाइन सुरक्षित प्लेटफॉर्म (ऑनलाइन ऋण) का उपयोग करके या बैंक के टोल-फ्री नंबरों पर कॉल करके आगे/अतिरिक्त सुविधाओं (ऐसे अतिरिक्त ऋण(णों) के लिए गिरवी जारी रखना) के लिए आवेदन कर सकता हूँ। बैंक अपने विवेक से ऐसा अतिरिक्त ऋण दे सकता है, बशर्ते कर्जदार बैंक के क्रेडिट मापदंडों का अनुपालन करे और आवश्यकतानुसार सभी दस्तावेज/जानकारी जमा करे।

८.२ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक को मेरे द्वारा समय-समय पर बैंक से प्राप्त की गई अन्य सुविधाओं के संबंध में, गिरवी रखी गई वस्तुओं और उसकी बिक्री से प्राप्त किसी भी रकम के संबंध में ग्रहणाधिकार और सेट ऑफ करने का अधिकार होगा।

## ९. परिपक्वता और नवीनीकरण:

९.१ परिपक्वता पर, मैं/हम या तो ब्याज सहित ऋण चुकाएंगे, और ऐसे अन्य बकाया जो मेरे/हमारे द्वारा बैंक को देय हैं (बकाया) या मैं/हम, किसी भी समय ऋण का नवीनीकरण करने/बढ़ाने का अनुरोध कर सकते हैं जो बैंक मुझे/हमें अपने एकमात्र और पूर्ण विवेक पर दे सकता है, बशर्ते कि बैंक के पक्ष में सोने की सुरक्षा यानी प्रतिभूति गिरवी रखी जाए और ऐसी अन्य सुरक्षा का प्रावधान किया जाए बैंक को जिसकी आवश्यकता हो और ऐसे नवीनीकरण/वृद्धि के समय प्रचलित अपनी नीतियों के अनुसार बैंक द्वारा निर्धारित ब्याज दर को बदला जाए।

## १०. विविध:

१०.१ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि सभी संचार ऋण के लिए आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिए गए पते पर लिखित रूप में भेजे जाएंगे। यदि पते या संपर्क विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो मेरे द्वारा बैंक को लिखित रूप में तुरंत सूचित किया जाएगा, ऐसा न करने पर, यह माना जाएगा कि मांग नोटिस, नीलामी नोटिस आदि सहित सभी संचार उक्त पते पर भेजे गए हैं वे मुझे प्राप्त हुए मान लिए जाएंगे।

१०.२ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि इस ऋण समझौते/नियम और शर्तों या उससे उत्पन्न किसी भी संबंधित लेनदेन, या उसके उल्लंघन, समाप्ति, या अमान्यता से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद, तकरार या दावों को पहले मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, १९९६ (अधिनियम) और फास्ट-ट्रैक ई-एरिब्रिट्रेशन पर लागू होने वाले "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" के नियमों और विनियमों के संयोजन में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" नामक एक स्वतंत्र और तटस्थ, तीसरे पक्ष की संस्था को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा जिसके द्वारा इसे ऑनलाइन विवाद समाधान के माध्यम से संचालित और प्रशासित किया जाएगा। जो कि इंटरनेट पर उपलब्ध है और "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" द्वारा संचालित वेबसाइट [arbitration.jupitice.com](http://arbitration.jupitice.com) पर होस्ट किया गया है।

विवाद का निपटारा करने के लिए नियुक्त मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, १९९६ और "ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड" के नियमों के अनुसार नियुक्त एक स्वतंत्र एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा। मध्यस्थता कार्यवाही की सीट गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत होगी।

मध्यस्थता की सभी लागतें दोनों पक्षों द्वारा समान रूप से वहन की जाएंगी। समस्त मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी, और मध्यस्थता का प्रक्रियात्मक कानून भारतीय कानून होगा। मध्यस्थता न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा। “ज्यूपिटिस जस्टिस टेक्नोलॉजी लिमिटेड” द्वारा मध्यस्थ के चयन में बैंक का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव नहीं होगा।

- १०.३ कर्जदार की मृत्यु के मामले में, मूलधन, ब्याज, दंड ब्याज, यदि कोई हो, और शुल्क सहित पूर्ण बकाया की वसूली के बाद ही सुरक्षा वस्तुएं नामांकित व्यक्ति (ऋण की मंजूरी के समय नियुक्त) को कर्जदार / नामांकित व्यक्ति के मूल केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद जारी की जाएंगी/सौंपी जाएंगी।
- १०.४ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक, किसी भी अन्य समझौते पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अपने एकाकी विवेक पर, मुझसे संबंधित किसी भी अन्य धन, धनराशि, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्ति (चाहे अकेले या संयुक्त रूप से किसी अन्य या अन्य के साथ हो) को बैंक या उसकी किसी सहायक/सहयोगी/सहयोगी कंपनी के कब्जे में या बैंक द्वारा मुझे दिए गए किसी भी ऋण के तहत बकाया भुगतान के लिए लागू करने हेतु स्वतंत्र होगा।
- १०.५ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक एकमात्र मेरे जोखिम और लागत पर मुझसे बकाया वसूलने के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने का हकदार होगा और बैंक के रूप में जो उसे उचित लगता हो, मुझसे संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और आंकड़े साझा करने का भी हकदार होगा।
- १०.६ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक, किसी भी समय, ऋण दस्तावेजों के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार, लाभ और बाध्यकारिताओं को निर्दिष्ट या हस्तांतरित कर सकता है।
- १०.७ मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि सभी लेन-देन केवल ऋणदाता के नियमित कार्य समय के दौरान और केवल कार्यदिवसों पर ही किए जाएंगे।
- १०.८ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि बैंक मुझे सूचित करके नियम और शर्तों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- १०.९ मैं/हम समझते हैं और सहमत हैं कि प्रदान किए गए ऋण का उपयोग करके, मैं बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से यहां सूचीबद्ध और समय-समय पर यथा संशोधित नियमों और शर्तों को स्वीकार कर रहा हूँ और सदैव उनका पालन करूंगा तथा उनसे बंधा रहूंगा।
- १०.१० **एफएटीसीए:** मैं समझता हूँ, सहमत हूँ और इसकी पुष्टि करता/करती हूँ कि मैं भारत का नागरिक और स्थायी निवासी हूँ और भारत की कर व्यवस्था के अधीन हूँ। **प्रतिज्ञा:** सुविधा पाने के लिए सोने के आभूषण/आभूषण बैंक में जमा कर दिए गए हैं और मूल्यांकन के लिए गिरवी रखी गई वस्तुओं में से केवल सोने के हिस्से पर ही विचार किया जाएगा।
- १०.११ **प्रतिज्ञा:** ऋण सुरक्षित करने के लिए सोने के आभूषण/जेवरात बैंक में जमा कर दिए गए हैं और मूल्यांकन के लिए गिरवी रखी गई वस्तुओं में से केवल सोने के हिस्से पर ही विचार किया जाएगा। यह ऋण बैंक के “फेयर प्रैक्टिस कोड” के अनुपालन में स्वीकृत किया गया है जो बैंक की वेबसाइट [www.shivalikbank.com](http://www.shivalikbank.com) पर उपलब्ध है। कृपया लिंक पर क्लिक करके फेयर प्रैक्टिस कोड पर जाएं: <http://www.shivalikbank.com/policy/Fair-Lending-Practice-Code-Policy.pdf>
११. ऐसी स्थिति में जब कर्जदार नियत तारीख पर या उससे पहले मासिक किस्त का भुगतान करके अपने दायित्व को पूरा करता है, तो उस विशिष्ट महीने के लिए लागू ब्याज दर ‘छूट’ के तहत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निर्दिष्ट प्रतिशत प्रति वर्ष तक कम हो जाएगी। हालाँकि, यदि कर्जदार नियत तारीख पर या उससे पहले भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋण मंजूरी के समय प्रति वर्ष लागू होने वाली मानक ब्याज दर लागू होगी। यह प्रावधान समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने और कर्जदार के लिए इष्टतम वित्तीय शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राहक को ७०,००० रुपये के ऋण पर २०% प्रति वर्ष की ब्याज दर दी जाती है और ग्राहक समय पर या समय से पहले भुगतान करता है, तो ग्राहक को ६% प्रति वर्ष की छूट के लिए पात्र माना जाएगा। इससे ग्राहक के लिए प्रभावी शुद्ध ब्याज दर १४% प्रति वर्ष हो जाएगी। एक बार ऋण के अतिदेय हो जाने पर, कर्जदार शेष ऋण अवधि के लिए छूट का पात्र नहीं होगा।

| टर्म लोन की श्रेणी में ऋण    | छूट प्रतिशत प्रति वर्ष |
|------------------------------|------------------------|
| < = ७५,०००                   | ६.००%                  |
| > ७५,००० और < = १,२५,०००     | ६.६०%                  |
| > १,२५,००० और < = २,००,०००   | ७.८०%                  |
| > २,००,००० और < = ५,००,०००   | ९.००%                  |
| > ५,००,००० और < = १०,००,०००  | १०.८०%                 |
| > १०,००,००० और < = २०,००,००० | ११.४०%                 |
| > २०,००,०००                  | १२.००%                 |

## १२. संपत्ति वर्गीकरण:

भारतीय रिजर्व बैंक की १२ नवंबर २०२१ की आय पहचान, संपत्ति वर्गीकरण और अग्रिमों से संबंधित प्रावधानों पर विवेकपूर्ण मानदंड – स्पष्टीकरण पर उनकी अधिसूचना के अनुसार, कर्जदार निम्नलिखित ऋण वर्गीकरण संरचना का ध्यान रखेगा:

| वर्गीकरण                         | डीपीडी बकेट रेंज            | विवरण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| एसएमए-०                          | ३० दिन तक                   | यदि किसी ऋण खाते की देय तिथि ३१ मार्च, २०२१ है, और इस तिथि की अंतिम प्रक्रिया से पहले पूर्ण बकाया प्राप्त नहीं होता है, तो अतिदेय की तिथि ३१ मार्च, २०२१ होगी, इसे ३१ मार्च, २०२१ को एसएमए-० के रूप में टैग किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                             |
| एसएमए-१                          | ३० दिन से अधिक और ६० दिन तक | उपरोक्त को जारी रखते हुए, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो ३० अप्रैल, २०२१ को चल रहे दिन की प्रक्रिया के समापन पर, यानी लगातार अतिदेय होने के ३० दिन पूरे होने पर इसे एसएमए-१ के रूप में टैग किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                             |
| एसएमए-२                          | ६० दिन से अधिक और ९० दिन तक | उपरोक्त को जारी रखते हुए, यदि खाता अतिदेय बना रहता है, तो ३० मई, २०२१ को चल रहे दिन की प्रक्रिया के समापन पर, यानी लगातार अतिदेय होने के ६० दिन पूरे होने पर इसे एसएमए-२ के रूप में टैग किया जाएगा।                                                                                                                                                                                                                                                 |
| गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) | ९० दिन से अधिक              | उपरोक्त को जारी रखते हुए, और यदि यह आगे भी अतिदेय बना रहता है, तो इसे २९ जून, २०२१ को चल रहे दिन के अंत की प्रक्रिया पर एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एक बार जब कोई खाता एनपीए हो जाता है, अर्थात्, ९० दिनों तक अतिदेय रहता है, तो इसे एनपीए के रूप में टैग किया जाएगा, जब तक कि इसकी समस्त अतिदेय धनराशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता है* और इसकी डीपीडी ० हो जाती है। किए गए किसी भी आंशिक भुगतान से एनपीए स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। |

\*अतिदेय धनराशि पुनर्भुगतान अनुसूची के अनुसार देय ब्याज या मूलधन और ब्याज है।

१३. मैं/हम स्पष्ट रूप से सहमति देते हैं और बैंक को मेरे आवेदन विवरण, व्यक्तिगत डेटा और मेरे बारे में संवेदनशील जानकारी एकत्र करने, संग्रहीत करने और संसाधित करने के लिए अधिकृत करते हैं (चाहे वह स्वयं या उसके किसी भी सेवा प्रदाता के माध्यम से, और चाहे स्वचालित तरीके से या अन्य प्रकार से कर रहा हो)। अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) क्रेडिट जानकारी से संबंधित जानकारी, कागजात और डेटा, और मेरे बारे में/मुझसे संबंधित हो या न हो, जो बैंक द्वारा प्रासंगिक समझी जा सकती हो (सामूहिक रूप से, सूचना) और मैं/हम एतद्वारा स्पष्ट रूप से सहमति भी देते हैं कि गोल्ड लोन आवेदन के प्रयोजन के लिए मेरी सी-केवाईसी आईडी का उपयोग करके सी-केवाईसी रजिस्ट्री से केवाईसी विवरण डाउनलोड करने के लिए बैंक अधिकृत है और सेवा प्रदाताओं, सलाहकारों, क्रेडिट सूचना कंपनियों, सूचना उपयोगिताओं, अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों, सहयोगी कंपनियों, समूह कंपनियों, सहायक नियामकों, जांच एजेंसियों के साथ जानकारी साझा करने और प्रकट करने के लिए बैंक को स्पष्ट रूप से सहमति है। न्यायिक, अर्ध-न्यायिक और वैधानिक प्राधिकरण, या अन्य व्यक्तियों/संस्थानों/संस्थाओं को, जो संविदात्मक या कानूनी आवश्यकताओं के संबंध में या बैंक के विधिक हितों के संबंध में या सहमति के अनुसार आवश्यक हो, जानकारी संसाधित करने का कार्य करते हैं वे भंडारण, संरचना, आयोजन, पुनरुत्पादन, नकल, उपयोग, प्रोफाइलिंग आदि के माध्यम से, जैसा कि बैंक द्वारा उचित समझा जाए और क्रेडिट मूल्यांकन, धोखाधड़ी का पता लगाने, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दायित्वों के प्रयोजनों के लिए, अनुबंध करने के लिए, प्रत्यक्ष रूप से विपणन के लिए अधिकृत हैं। मैं बैंक, उसके सेवा प्रदाताओं, एजेंटों और/या उसके सहयोगियों द्वारा समय-समय पर टेलीफोन, एसएमएस और/या ईमेल के माध्यम से बैंक के विभिन्न उत्पादों और सेवाओं के बारे में जानकारी देने, विपणन प्रचार करने और क्रॉस सेलिंग के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हूँ।

## १४. शिकायत निवारण:

प्रिय कर्जदार, यदि आपकी कोई शिकायत या व्यथा है, तो हमारे ग्राहक सेवा प्रतिनिधि से संपर्क करें, या अपनी निकटतम शाखा पर जाएँ। आप अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए शाखा में उपलब्ध शिकायत बॉक्स या शिकायत प्रपत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी शिकायत का समाधान नहीं होता है, तो कृपया निम्नलिखित एस्केलेशन मैट्रिक्स का उपयोग करें।

### स्तर १: शाखा प्रबंधक / फ़ोन बैंकिंग नंबर / ग्राहक सेवा केंद्र

कृपया हमारे बिजनेस कोरेस्पोंडेंट (बिजनेस कोरेस्पोंडेंट का संपर्क विवरण (<https://shivalikbank.com/bc-partners-contact-details-hindi>) या अपनी निकटतम शाखा में शाखा प्रबंधक (ब्रांच मैनेजर) से संपर्क करें या हमारे फोन बैंकिंग अधिकारी से १८००-२०२-५३३३ संपर्क करें या [customercare@shivalikbank.com](mailto:customercare@shivalikbank.com) पर ईमेल भेजें।

### स्तर २: नोडल अधिकारी

यदि आप शाखा/फोन बैंकिंग/ग्राहक सेवा केंद्र से मिले जवाब या समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या यदि आपको ७ कार्य दिवसों में कोई जवाब नहीं मिलता है, तो आप क्षेत्रीय नोडल अधिकारी को फोन कर सकते हैं या नीचे दिए संपर्क विवरण पर उनसे पत्र या ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं।

| नोडल अधिकारी         |                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| नोडल अधिकारी का नाम: | जायत्री सिंह                                                               |
|                      | शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड                                        |
|                      | दूसरी मंजिल, एड इंडिया टावर, प्लॉट नं. ६ए, सेक्टर १२५, नोएडा - २०१३०३.     |
| संपर्क विवरण:        | ०१२०-४०६००११                                                               |
| ईमेल आयडी:           | <a href="mailto:grievance@shivalikbank.com">grievance@shivalikbank.com</a> |

### स्तर ३: मुख्य नोडल अधिकारी

यदि आप नोडल अधिकारी से प्राप्त जवाब या समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या यदि आपको ७ कार्य दिवसों के भीतर कोई जवाब नहीं मिलता है, तो कृपया नीचे दिए गए पते और संपर्क विवरण पर मुख्य नोडल अधिकारी से संपर्क करें:

हमारे मुख्य नोडल अधिकारी ७ कार्य दिवसों के भीतर शिकायतकर्ता की समस्या का उचित समाधान करने का प्रयास करेंगे। यदि शिकायत की जांच के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है, तो शिकायतकर्ता को सूचित किया जाएगा कि शिकायत का जवाब देने के लिए और समय की आवश्यकता है।

| मुख्य नोडल अधिकारी         |                                                                        |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| मुख्य नोडल अधिकारी का नाम: | रवि रत्नाकर सिंह                                                       |
|                            | शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड                                    |
|                            | दूसरी मंजिल, एड इंडिया टावर, प्लॉट नं. ६ए, सेक्टर १२५, नोएडा - २०१३०३. |
| फोन नंबर:                  | ०१२०-४०६००१२                                                           |
| ईमेल आयडी:                 | <a href="mailto:pno@shivalikbank.com">pno@shivalikbank.com</a>         |

**एकीकृत लोकपाल से संपर्क:** हम अपने सभी ग्राहकों को सूचित करना चाहते हैं कि हमारा बैंक रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, २०२१ के अंतर्गत आता है। यदि आप बैंक द्वारा प्रदान किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं या यदि आपकी शिकायत दर्ज करने के ३० दिनों के भीतर आपकी शिकायत का निवारण नहीं किया जाता है, तो आप <https://cms.rbi.org.in> पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करके एकीकृत लोकपाल से संपर्क कर सकते हैं।

शिकायतें भौतिक मोड के माध्यम से 'केंद्रीय रसीद और प्रसंस्करण केंद्र' (सीआरपीसी) में भी प्रस्तुत की जा सकती हैं, जो चंडीगढ़ में स्थापित किया गया है।

**सीआरपीसी का पता:** केंद्रीय रसीद और प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी), भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल विस्टा, सेक्टर १७, चंडीगढ़ १६००१७.

ईमेल - [crpcrbi.org.in](mailto:crpcrbi.org.in)

**आरबीआई संपर्क केंद्र टोल फ्री नंबर के साथ १४४४८.**

### १५. रिकवरी एजेंट की नियुक्ति

ए) कर्जदार यह स्वीकार करता/करती है और सहमत है कि बैंक या उसका व्यवसाय प्रतिनिधि, बैंक के एकमात्र विवेक पर, कर्जदार द्वारा ऋण या कोई भी बकाया राशि चुकाने में चूक की स्थिति में बैंक की ओर से कार्य करने के लिए रिकवरी एजेंट नियुक्त कर सकता है। बैंक कर्जदार को पूर्व सूचना दिए बिना, रिकवरी एजेंट को नियुक्त करने, पुनः नियुक्त करने या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

बी) निर्धारित रिकवरी एजेंट को निम्नलिखित अधिकार प्रदान किए जाएंगे:

- बैंक की ओर से कर्जदार से बकाया राशि, जिसमें मूलधन, ब्याज, जुर्माना और अन्य शुल्क सहित अतिदेय राशि एकत्र करें।
- बैंक की स्वीकृति के अधीन, कर्जदार द्वारा बकाया राशि पर बातचीत करना, समझौता करना, या निपटान करना।
- लागू कानूनों और इस समझौते की शर्तों के अनुसार, कानूनी या अन्य कार्यवाई शुरू करना, जिसमें प्रत्याभूत परिसंपत्तियों का पुनः अधिग्रहण शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।

कर्जदार बैंक द्वारा नियुक्त रिकवरी एजेंट के साथ सहयोग करने और रिकवरी की सुविधा के लिए रिकवरी एजेंट द्वारा अनुरोधित आवश्यक जानकारी या दस्तावेज प्रदान करने के लिए सहमत है। कर्जदार किसी भी तरीके से रिकवरी एजेंट को उसके कर्तव्यों का पालन करने में बाधा या अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।

डी) रिकवरी एजेंट को रिकवरी गतिविधियों को निष्पादित करने में भारतीय रिजर्व बैंक (या संबंधित नियामक प्राधिकरण) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों सहित सभी लागू कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। कर्जदार यह स्वीकार करता है कि बैंक और रिकवरी एजेंट वसूली कार्यवाई करते समय गोपनीयता बनाए रखेंगे और नैतिक मानकों का पालन करेंगे।

ई) रिकवरी प्रक्रिया में बैंक और/या रिकवरी एजेंट द्वारा किए गए सभी उचित खर्च और लागत, जिसमें कानूनी शुल्क शामिल है, कर्जदार द्वारा वहन किए जाएंगे और बकाया राशि में जोड़े जाएंगे।

एफ) बैंक इस धारा के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों को कर्जदार को पूर्व सूचना दिए बिना रिकवरी एजेंट सहित किसी तृतीय पक्ष को हस्तांतरित करने या सौंपने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



**शिवालिक**  
शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड

**Declaration in Hindi:**

मैंने/हमने उपरोक्त खण्डों तथा महत्वपूर्ण कर्ज समझौते को पढ़ लिया है और समझा दिया गया है। इसे मेरी/हमारी उपस्थिति में भरा गया है। मैं/हम इस महत्वपूर्ण विवरण सहित सभी शर्तों को मानने के लिए बाध्य होंगे। पूर्वोक्त में दिए गए करारनामों और अन्य दस्तावेजों को मेरी/हमारी समझ में आने वाली भाषा में मुझे/हमें बताया गया है और मैंने/हमने विभिन्न खण्डों का पूरा तात्पर्य समझ लिया है। ऋण प्राप्तकर्ताओं ने इस समझौते की विषयवस्तु सत्यापित करने और समझने के बाद अपने हस्ताक्षर किये हैं।

**Declaration in Marathi:**

संपूर्ण करार माझ्या/आमच्या उपस्थितीत भरला गेला आहे हे मी/आम्ही वाचले/स्पष्ट केले आहे. मला/आम्ही केलेल्या कर्ज अर्जात मी/आम्ही भरलेल्या सर्व अटी आणि तपशिलांच्या संदर्भात स्वतःचे समाधान केल्यानंतरच बँक या कराराचा पक्ष बनण्यास सहमत आहे/ते याची मला/आम्हाला जाणीव आहे.

**Declaration in Gujarati:**

मैं/अमे उपरोक्त कलमों अने महत्वपूर्ण लोन करार वांच्या अने समजु लीधा छे. आ भारी/अभारी छाजरीमां लरवामां आवे छे. तुं/अमे आ महत्वपूर्ण विगत सडित तमाम नियमो अने शरतोनुं पालन करवा अंधायेला रडीशुं. उपरोक्त अने अ-य दस्तावेजोमां समाविष्ट करार मने/अमने समजय तेवी लाषामां जलाववामां आव्यो छे अने तुं/अमे विविध कलमोनां संपूर्ण अर्थ समजु गया छीअे. ऋण लेनाराओअे आ करारनी सामग्रीने यडास्या अने समज्या पछी दस्ताक्षर कर्था छे.

**Declaration in Tamil:**

எனது/எங்கள் முன்னிலையில் முழு ஒப்பந்தமும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதை நான்/நாங்கள் படித்தோம், அது தொடர்பாக /எனக்கு/எங்களுக்கு விளக்கமும் அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நான்/நாங்கள் செய்த கடன் விண்ணப்பத்தில் நான்/நாங்கள் பூர்த்தி செய்த அனைத்து நிபந்தனைகள் மற்றும் விவரங்கள் குறித்து தான் திருப்தியடைந்த பின்னரே வங்கி இந்த ஒப்பந்தத்தில் ஒரு தரப்பினராக ஒப்புக்கொள்கிறது என்பதை நான்/நாங்கள் அறிவோம்.

**Declaration in Telugu:**

నా/మా సమక్షములో నింపబడిన మొత్తం అంగీకారపత్రాన్ని నేను/మేము చదువుకున్నాము / చదివి వివరించగా విన్నాము. మాచే / మాచే చేయబడిన లోన్ దరఖాస్తు లో నాచే/మాచే నింపబడిన షరతులు మరియు వివరాలను అన్నింటికీ సంబంధించి తనకు తానుగా సంతృప్తి చెందిన తర్వాత మాత్రమే ఈ అంగీకార పత్రానికి ఒక పక్షముగా ఉండడానికి బ్యాంక్ అంగీకరించిందని నాకు/మాకు అవగాహన ఉంది.

कर्जदार के हस्ताक्षर

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित

## संवितरण अनुरोध प्रपत्र



सेवा में,

शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड

\_\_\_\_\_ (शाखा का नाम)

तारीख: \_\_\_\_\_

जगह: \_\_\_\_\_

कर्जदार का नाम:

विषय: ऋण संवितरण हेतु अनुरोध

प्रिय महोदय/महोदया,

यह मेरे \_\_\_\_\_ दिनांकित ऋण आवेदन के संदर्भ में है, मैं अधोहस्ताक्षरी एतद्वारा आपसे अनुरोध करता/ती हूँ कि आप यहां नीचे दिए गए विवरण के अनुसार मेरा ऋण संवितरण जारी करें।

| ऋण विवरण                                                             |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| कुल ऋण राशि                                                          | रु. |
| प्रोसेसिंग फी + जीएसटी                                               | रु. |
| कर्जदार को शुद्ध संवितरण                                             | रु. |
| आरटीजीएस/एनईएफटी/आईएमपीएस फंड ट्रांसफर के माध्यम से संवितरण का विवरण |     |
| लाभार्थी का नाम                                                      |     |
| बैंक नाम                                                             |     |
| बैंक अकाउंट नंबर                                                     |     |
| IFSC कोड                                                             |     |
| संवितरण धनराशि                                                       | रु. |

शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड, स्वीकृत मंजूरी शर्तों और/या अन्य शर्तों के अनुसार किसी भी बकाया/अग्रिम ईएमआई/पीईएमआई ब्याज, प्रोसेसिंग शुल्क + जीएसटी, या लागू कर/शुल्क, लागत और व्यय सहित किसी भी अन्य शुल्क संबंधी धनराशि की कटौती कर्जदार से बिना किसी अतिरिक्त पुष्टि के कर सकता है।

| कर्जदार को नेट आउटफ्लो |                      |                 |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| संवितरण प्रकार         | लाभार्थी अकाउंट नंबर | संवितरित धनराशि |
|                        |                      |                 |

कर्जदार के हस्ताक्षर

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित

| मुख्य तथ्यों का स्टेटमेंट                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| अनु. क्र.                                                                                                                                       | विवरण                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वर्णन                                                |                                                          |                                                      |
| १                                                                                                                                               | ग्राहक का नाम                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| २                                                                                                                                               | ग्राहक आईडी                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| ३                                                                                                                                               | ऋण का प्रस्ताव / खाता संख्या                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| ४                                                                                                                                               | ऋण का प्रकार                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| ५                                                                                                                                               | योजना का प्रकार                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| ६                                                                                                                                               | वितरण अनुसूची<br>१) चरणों में वितरण या १००% अग्रिम<br>२) यदि यह चरणबद्ध है, तो ऋण समझौते के उस अनुच्छेद का उल्लेख करें जिसमें संबंधित विवरण हो |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १००% अग्रिम                                          |                                                          |                                                      |
| ७                                                                                                                                               | स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| ८                                                                                                                                               | शुद्ध वितरित राशि                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| ९                                                                                                                                               | ऋण की अवधि                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| १०                                                                                                                                              | वार्षिक प्रतिशत दर (एपीआर) (%)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| ११                                                                                                                                              | किस्त का विवरण                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| किस्त का प्रकार                                                                                                                                 | ईपीआय की संख्या                                                                                                                                | ईपीआई (₹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वितरण की तिथि                                        | चुकोती की शुरुआत,स्वीकृति के बाद (ईएमआई प्रारंभ की तिथि) | चुकोती की अंतिम तिथि                                 |
| *ईपीआई की गणना एक महीने के वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| १२                                                                                                                                              | ब्याज दर (%) और प्रकार (फ्लोटिंग या फ्लोटिंग या हाइब्रिड)                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| १३                                                                                                                                              | फ्लोटिंग ब्याज दर के मामले में अतिरिक्त जानकारी                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| संदर्भ बेंचमार्क                                                                                                                                | बेंचमार्क दर (%) (बी)                                                                                                                          | स्प्रेड (%) (एस)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | अंतिम दर (%) आर = (बी) + (एस)                        | रीसेट आवधिकता                                            | संदर्भ में परिवर्तन का प्रभाव                        |
| लागू नहीं                                                                                                                                       | लागू नहीं                                                                                                                                      | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | लागू नहीं                                            | लागू नहीं                                                | लागू नहीं                                            |
| १४                                                                                                                                              | शुल्क / चार्ज                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | आरई(ए) को देय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      | आरई(बी) के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय                   |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | एक बार/आवर्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राशि (₹. में) या प्रतिशत (%) के रूप में जैसे लागू हो | एक बार/आवर्ती                                            | राशि (₹. में) या प्रतिशत (%) के रूप में जैसे लागू हो |
| (I)                                                                                                                                             | प्रक्रिया शुल्क                                                                                                                                | एक बार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | लागू नहीं                                                | लागू नहीं                                            |
| (II)                                                                                                                                            | मूल्यांकन शुल्क                                                                                                                                | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | लागू नहीं                                            | लागू नहीं                                                | लागू नहीं                                            |
| १५                                                                                                                                              | आकस्मिक शुल्कों का विवरण (₹. या % में, जैसे लागू हो)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| (I)                                                                                                                                             | विलंबित भुगतान, यदि कोई हो, के मामले में बकाया राशि शुल्क                                                                                      | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                          |                                                      |
|                                                                                                                                                 | छूट योजनाओं के लिए                                                                                                                             | ऐसी स्थिति में जब कर्जदार नियत तारीख पर या उससे पहले मासिक किस्त का भुगतान करके अपने दायित्व को पूरा करता है, तो उस विशिष्ट महीने के लिए लागू ब्याज दर 'छूट' के तहत नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित निर्दिष्ट प्रतिशत प्रति वर्ष तक कम हो जाएगी। हालांकि, यदि कर्जदारनियत तारीख पर या उससे पहले भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऋण मंजूरी के समय प्रति वर्ष लागू होने वाली मानक ब्याज दर लागू होगी। यह प्रावधान समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने और कर्जदार के लिए इष्टतम वित्तीय शर्तों को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक बार ऋण अतिदेय हो जाने पर, वे शेष ऋण अवधि के लिए छूट के पात्र नहीं होंगे। |                                                      |                                                          |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | ऋण राशि सीमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | छूट प्रतिशत प्रति वर्ष                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | < = ७५,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | ६.००%                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | > ७५,००० और < = १,२५,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                      | ६.६०%                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | > १,२५,००० और < = २,००,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | ७.८०%                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | > २,००,००० और < = ५,००,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | ९.००%                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | > ५,००,००० और < = १०,००,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | १०.८०%                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | > १०,००,००० और < = २०,००,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | ११.४०%                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | > २०,००,०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      | १२.००%                                                   |                                                      |
| (II)                                                                                                                                            | अन्य दंडात्मक शुल्क, यदि कोई हो तो                                                                                                             | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                          |                                                      |
| (III)                                                                                                                                           | पूर्वसमापन शुल्क, यदि लागू हो                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| (IV)                                                                                                                                            | प्रकाशन शुल्क                                                                                                                                  | वास्तविक पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                          |                                                      |
| (V)                                                                                                                                             | नीलामी शुल्क                                                                                                                                   | वास्तविक पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                          |                                                      |
| (VI)                                                                                                                                            | कानूनी नोटिस शुल्क                                                                                                                             | वास्तविक पर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |                                                          |                                                      |
| (VII)                                                                                                                                           | कोई अन्य शुल्क (कृपया निर्दिष्ट करें)                                                                                                          | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                          |                                                      |
| भाग २ (अन्य गुणात्मक जानकारी)                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| १                                                                                                                                               | रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति से संबंधित ऋण के समझौते की कलम                                                                                      | रिकवरी एजेंटों की नियुक्ति के लिए कृपया कलम "१५" "रिकवरी एजेंट की नियुक्ति देखें"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |                                                          |                                                      |
| २                                                                                                                                               | ऋण के समझौते की कलम जिसमें शिकायत निवारण तंत्र का विवरण है                                                                                     | शिकायत निवारण तंत्र के लिए कृपया सामान्य नियम और शर्तों की कलम "१४" "शिकायत निवारण देखें"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                          |                                                      |
| ३                                                                                                                                               | नोडल शिकायत निवारण अधिकारी का फोन नंबर और ईमेल आईडी                                                                                            | शिकायत निवारण तंत्र के लिए कृपया सामान्य नियम और शर्तों की कलम "१४" "शिकायत निवारण देखें"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      |                                                          |                                                      |
| ४                                                                                                                                               | क्या ऋण अन्य आरई विनियमित संस्थाओं को हस्तांतरित किया गया है या भविष्य में किया जा सकता है (हां/नहीं)                                          | हां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                      |                                                          |                                                      |
| ५                                                                                                                                               | कोलेबोरेटिव लेंडिंग व्यवस्था (जैसे, सह-ऋण/आउटसोर्सिंग) के अंतर्गत ऋण देने के मामले में, निम्नलिखित अतिरिक्त विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं।    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| मूल आरई का नाम उसके फंडिंग के साथ                                                                                                               |                                                                                                                                                | पार्टनर आरई का नाम उसके अनुपात के साथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | ब्याज की मिश्रित दर                                      |                                                      |
| लागू नहीं                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | लागू नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                      | लागू नहीं                                                |                                                      |
| ६                                                                                                                                               | डिजिटल लोन के मामले में, निम्नलिखित विशिष्ट विवरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |                                                          |                                                      |
| i) आरई की बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार कूलिंग ऑफ/लुक-अप अवधि, जिसके दौरान कर्जदार से ऋण के पूर्व भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | लागू नहीं                                                |                                                      |
| ii) रिकवरी एजेंट के रूप में कार्य करने वाले और कर्जदार से संपर्क करने के लिए अधिकृत एलएसपी का विवरण                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | लागू नहीं                                                |                                                      |

| अनुलग्नक बी |                                                                                                                                                                                    |             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| क्रमांक।    | पैरामीटर                                                                                                                                                                           | विवरण       |
| 1           | स्वीकृत ऋण राशि (रुपये में)                                                                                                                                                        |             |
| 2           | ऋण अवधि                                                                                                                                                                            |             |
| एक।)        | गैर-समतुल्य आवधिक ऋणों के मामले में मूलधन के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या                                                                                                       |             |
| बी।)        | i.) ईपीआई का प्रकार                                                                                                                                                                |             |
|             | ii.) प्रत्येक ईपीआई की राशि (रुपये में)<br>*ईपीआई की गणना महीने में वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी                                                                   |             |
|             | iii.) ईपीआई की संख्या                                                                                                                                                              |             |
| सी।)        | पूँजीकृत ब्याज के भुगतान के लिए किस्तों की संख्या, यदि कोई हो                                                                                                                      |             |
| डी।)        | स्वीकृति के बाद पुनर्भुगतान की शुरुआत                                                                                                                                              |             |
| 3           | ब्याज दर का प्रकार (स्थिर या अस्थिर या हाइब्रिड)                                                                                                                                   | तय          |
| 4           | ब्याज दर<br>ब्याज दर बुकिंग ROI के अनुसार है।<br>यह छूट के आधार पर भिन्न हो सकता है<br>ऋण अवधि के दौरान पात्रता                                                                    |             |
| 5           | ऋण की पूरी अवधि के दौरान ली जाने वाली कुल ब्याज राशि<br>स्वीकृति तिथि को प्रचलित दर के अनुसार (रुपये में)<br>*कुल ब्याज किसी विशेष माह में दिनों की संख्या के आधार पर अलग-अलग होगा |             |
| 6           | देय शुल्क/प्रभार                                                                                                                                                                   |             |
| एक।)        | आरई को देय                                                                                                                                                                         | ना          |
| बी।)        | RE के माध्यम से तीसरे पक्ष को देय                                                                                                                                                  |             |
| 7           | शुद्ध वितरित राशि                                                                                                                                                                  |             |
| 8           | उधारकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कुल राशि                                                                                                                                      |             |
| 9           | वार्षिक प्रतिशत दर- प्रभावी वार्षिक ब्याज दर                                                                                                                                       |             |
| 10          | नियम एवं शर्तों के अनुसार संवितरण की अनुसूची                                                                                                                                       | 100% अग्रिम |
| 11          | किस्त और ब्याज के भुगतान की नियत तिथि                                                                                                                                              |             |

### कर्जदार की घोषणा

१. मुझे लगता है मैं/हम, \_\_\_\_\_ अधोहस्ताक्षरी (इसके बाद इसकी सभी व्याकरणिक विविधताओं के साथ मैं या कर्जदार के रूप में संदर्भित किया गया है और इस शब्द में उनके उत्तराधिकारी, स्थानांतरित व्यक्ति, नवप्रवर्तक और अनुमत नियुक्त व्यक्ति शामिल होंगे)।
२. मैं उल्लेख करता हूँ और घोषणा करता हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही हैं और मैं उनमें किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को तुरंत सूचित करने का वचन देता हूँ। यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी झूठी या असत्य या भ्रामक या गलत प्रस्तुतीकरण वाली पाई जाती है, तो मैं/हम जानते हैं कि मुझे/हमें इसके लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
३. मैं भारत का रहने वाला हूँ; और भारत का स्थायी निवासी तथा भारत की कर व्यवस्था के अधीन हूँ।
४. मैं किसी बैंक या किसी अन्य बैंक की प्रमोटर समूह कंपनियों का निदेशक/प्रवर्तक/सदस्य नहीं हूँ। मैं किसी भी तरह से बैंक के किसी भी निदेशक से संबंधित नहीं हूँ।
५. मैं राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) नहीं हूँ और न ही मेरा किसी राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति (पीईपी) से कोई संबंध है।  
परिभाषा – राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें किसी विदेश में प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपे गए हैं या सौंपे गए हैं, जैसे, राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/न्यायिक/सैन्य अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ अधिकारी, महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के पदाधिकारी आदि।
६. मैं/हम शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड/अन्य बैंक के निदेशक/शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारी का निकट संबंधी नहीं हूँ/हैं।  
परिभाषा: निकट संबंधी का अर्थ है – पति/पत्नी, पिता, माता (सौतेली माँ सहित), पुत्र (सौतेले पुत्र सहित), पुत्र की पत्नी, पुत्री (सौतेली पुत्री सहित), पुत्री का पति, भाई (सौतेले भाई सहित), भाई की पत्नी, बहन (सौतेली बहन सहित), बहन का पति, पति/पत्नी का भाई (सौतेला भाई सहित), पति/पत्नी की बहन (सौतेली बहन सहित)।
७. मैं शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का वरिष्ठ अधिकारी नहीं हूँ।
८. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं एफआई, आरसीयू, डीएसए और कलेक्शन एजेंसी का कर्मचारी नहीं हूँ।
९. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरा मूल्यांकक से कोई लेना-देना नहीं है।
१०. मैंने दिवालियापन के लिए कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है, न ही मुझे दिवालिया घोषित किया गया है और न ही मेरे खिलाफ कोई दिवाला/दिवालियापन कार्यवाही शुरू की गई है।
११. इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है।
१२. मैंने किसी भी बैंक या लेनदार को किसी भी अन्य ऋण ब्याज या किसी अन्य राशि के पुनर्भुगतान में चूक नहीं की है और मेरा नाम भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") की चूककर्ताओं की सूची और एक्सपोर्ट और क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ("ईसीजीसी") की सावधानी सूची या किसी सूची/मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी या आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के संबंध में आरबीआई द्वारा जारी अधिसूचनाओं या आतंकवादी से संबंधित गतिविधियों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित किसी प्रतिबंध सूची में नहीं है;
१३. मैं सोने के आभूषणों/जेवरात और अन्य वस्तुओं ("गिरवी रखी गई वस्तुएं") का सच्चा और वैध मालिक हूँ।
१४. मैं यहां ऊपर दिए गए पते पर रह रहा हूँ और वह पता हर पत्राचार के लिए है और यदि मेरे पते में कोई बदलाव होता है तो मैं तुरंत शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को सूचित करूंगा।
१५. मैं पुष्टि करता हूँ कि मैंने उन नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया है जो इस आवेदन पत्र के तहत अनुरोध किए जा रहे ऋण पर लागू होंगी।
१६. मैं समझता हूँ कि ऋण की मंजूरी और उसके तहत कोई भी संवितरण बैंक के विवेक पर निर्भर है, जो आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और बैंक ऐसी अस्वीकृति या ऐसी अस्वीकृति की जानकारी मुझे देने में किसी भी देरी के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार/उत्तरदायी नहीं होगा। मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि बैंक इस आवेदन पत्र के साथ जमा की गई तस्वीरों और दस्तावेजों को अपने पास रखने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
१७. मैं दी गई किसी भी जानकारी में किसी भी बदलाव के बारे में तुरंत बैंक को सूचित करूंगा। मैं बैंक और/या उसके एजेंटों के लिए आवश्यक हर आवश्यक जानकारी/दस्तावेज प्रदान करने का वचन देता हूँ।
१८. मैं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, भारतीय क्रेडिट सूचना ब्यूरो लिमिटेड और अन्य संस्थाओं सहित तीसरे पक्षों से मेरी केवाईसी और क्रेडिट संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्राप्त करने के लिए बैंक को ऐसे तीसरे पक्षों (जैसा आवश्यक हो) द्वारा दी गई सहमति को स्वीकार करता हूँ और आगे की सहमति भी देता हूँ कि बैंक, स्वयं या अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से, दी गई किसी भी जानकारी को सत्यापित कर सकता है, क्रेडिट संदर्भ, रोजगार विवरण की जांच कर सकता है

और समय-समय पर मेरी वास्तविकता और/या क्रेडिट योग्यता निर्धारित करने के लिए केवाईसी संबंधित दस्तावेज या क्रेडिट रिपोर्ट प्राप्त कर सकता है। मुझे बैंक द्वारा यथावश्यक रूप से अपने सहयोगियों, नियामक निकायों, सरकार और क्रेडिट एजेंसियों और ऐसे अन्य प्राधिकरणों के साथ जानकारी के आदान-प्रदान और साझा करने पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि एक से अधिक कर्जदार (एकाधिक) हैं, तो प्रत्येक कर्जदार ऋण के तहत भुगतान करने के लिए संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होगा। मैं वचन देता हूँ कि बैंक को पहले से जमा की गई मेरी केवाईसी जानकारी में कोई बदलाव नहीं है – केवल टॉप-अप में लागू होगी।

१९. मैं अपने/हमारे आवेदन की स्थिति, खाता गतिविधि, सेवा कॉल (क्लैशन्स, सलाह और शैक्षिक सूचनात्मक संदेश शामिल हैं), विनियामक अपडेट के साथ-साथ उत्पाद उपयोग संदेश/कॉल से संबंधित एसएमएस अलर्ट/ईमेल/फोन कॉल प्राप्त करने के लिए सहमत हूँ जो समय-समय पर, मेरे/हमारे मोबाइल फोन नंबर पर, जैसा कि इस आवेदन पत्र में उल्लिखित है, बैंक भेजेगा/करेगा।
२०. सोने की सुरक्षा का मूल्यांकन बैंक/बीसी द्वारा नियुक्त एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा किया जाएगा और ऋण राशि का निर्धारण बैंक मूल्यांकनकर्ता द्वारा प्रदान की गई मूल्यांकन रिपोर्ट में निर्धारित सोने की सुरक्षा के मूल्य के आधार पर करेगा। ऐसा मूल्य समय-समय पर स्वर्ण प्रतिभूति के बाजार मूल्य के अधीन होगा। ऋण की राशि मुझे/हमें एक स्वीकृति पत्र के माध्यम से बता दी जाएगी। मैं/हम स्वीकृति पत्र के नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।
२१. मेरे द्वारा बैंक को दी गई सोने की सुरक्षा और कोई भी अन्य सुरक्षा मेरे द्वारा बैंक को उक्त देय राशि का पूरा भुगतान करने पर ही जारी की जाएगी। यदि गोल्ड सिक्कोरिटी का मूल्य समय-समय पर लागू बैंक के आवश्यक मार्जिन से कम हो जाता है, तो डिफॉल्ट की घटना घोषित करने के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना/या गोल्ड सिक्कोरिटी को बेचने का अधिकार और/या किसी अन्य अधिकार का प्रयोग करें या यहां या कानून के तहत बैंक के पास उपलब्ध उपाय, मैं/हम, इस संबंध में बैंक से नोटिस मिलने के ७ (सात) दिनों के भीतर, बैंक के विवेक पर, बैंक के पास यथापेक्षित अतिरिक्त सुरक्षा जमा करेंगे। किसी भी सामान्य ग्रहणाधिकार या समान अधिकार के अलावा, जिसके लिए बैंक के रूप में बैंक कानून द्वारा हकदार हो सकता है, बैंक किसी भी समय और मुझे/हमें कोई सूचना दिए बिना मेरे/हमारे सभी या किसी भी खाते को और देनदारियों के साथ जोड़ या समेकित कर सकता है बैंक और किसी भी अन्य खाते पर या किसी अन्य संबंध में बैंक के प्रति मेरी/हमारी किसी भी देनदारी की संतुष्टि के लिए ऐसे किसी एक या अधिक खातों में जमा किसी भी राशि या रकम को ऑफसेट या स्थानांतरित कर सकता है, चाहे ऐसी देनदारियां वास्तविक हों या संभावित, प्राथमिक हों या सहायक, व्यक्तिगत हों या संयुक्त।
२२. मैं सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों का भुगतान करूंगा, जिसमें वास्तविक आधार पर स्टैम्प शुल्क और कानूनी लागत और अन्य शुल्क और खर्च शामिल हैं जो ऋण से संबंधित और/या प्रासंगिक किसी भी दस्तावेज की तैयारी में, साथ ही बनाई गई सुरक्षा के प्रवर्तन के प्रयास के लिए किए जा सकते हैं। मैं/हम आपको किसी भी शुल्क/गोल्ड लोन की सर्विसिंग के लिए बैंक में रखे मेरे/हमारे खाते(खातों) को डेबिट/क्रेडिट करने के लिए अधिकृत करते हैं।
२३. मैं इस बात से सहमत हूँ कि, आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में खातों का वर्गीकरण कर्जदार के अनुसार किया जाता है, न कि ऋण के अनुसार और इसलिए यह ध्यान दिया जा सकता है कि बैंक से लिए गए किसी भी ऋण के मामले में कर्जदार द्वारा बकाया का भुगतान न करने पर और परिणाम स्वरूप खाते को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाना है, बैंक के साथ कर्जदार के अन्य सभी ऋण खातों को आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को ऐसे खातों में नियमित/चुकोती के बावजूद एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और यह बैंक को उसी कर्जदार द्वारा प्राप्त ऐसे सभी ऋणों/सुविधाओं को वापस लेने का अधिकार देगा।
२४. ऋण का नवीनीकरण और वृद्धि: बैंक, कर्जदार के अनुरोध पर, ऐसे नियमों और शर्तों, ब्याज, शुल्क और शुल्कों पर ऋण को नवीनीकृत/बढ़ा सकता है जो बैंक निर्धारित कर सकता है और यह बैंक के पक्ष में स्वर्ण सुरक्षा पर गिरवी की निरंतरता के अधीन है।
२५. मुझे/हमें शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड और/या उसके एजेंटों द्वारा मुझे/हमें शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड और उपरोक्त उद्देश्य के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड और/या उसके एजेंटों को अधिकृत करें उनके द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न उत्पादों, प्रस्तावों और सेवाओं के बारे में किसी भी माध्यम (जैसे टेलीफोन कॉल, एसएमएस/ईमेल, पत्र आदि) से जानकारी प्रदान करने पर कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह पुष्टि करता/करती हूँ कि 'नेशनल डू नॉट कॉल रजिस्ट्री' में संदर्भित अनचाहे संचार के संबंध में 'भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण' द्वारा निर्धारित कानून मुझ पर ऐसी सूचना/संचार पर लागू नहीं होंगे।
२६. ऋण का उपयोग किसी भी अवैध या गैर-कानूनी गतिविधियों या सट्टा उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
२७. मैं समझता हूँ और सहमत हूँ कि मैं किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए ऋण का उपयोग, (प्राथमिक सोना, सोने की बुलियन, सोने के आभूषण/जेवरात, सोने के सिक्के, गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की इकाइयां और गोल्ड म्यूचुअल फंड की इकाइयां), छोटे बचत उपकरणों (केवीपी और एनएससी सहित) का अधिग्रहण या किसी अवैध या गैरकानूनी गतिविधियों या सट्टा उद्देश्य के लिए नहीं करूंगा और ऋण राशि का उपयोग ऋण आवेदन में बताए गए उद्देश्य के लिए किया जाएगा।
२८. बैंक के कर्मचारी/लेखा परीक्षकों को जब भी सत्यापन की आवश्यकता हो, बैंक द्वारा निर्धारित मानक मूल्यांकन विधियों को अपनाते हुए संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत किए गए आभूषणों की शुद्धता को सत्यापित करने का अधिकार होगा।
२९. बैंक अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों, जैसे आग, बाढ़, भूकंप आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण गिरवी रखी गई वस्तुओं को होने वाले किसी भी नुकसान/क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और ऐसी घटनाओं में कर्जदार को केवल तभी मुआवजा प्राप्त होगा जब बीमा के निपटान से बैंक को वह प्राप्त हो।

### टूटे हुए सोने के आभूषण/जेवरात गिरवी रखने की घोषणा

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं और पुष्टि करते हैं कि बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए प्रदान किए गए सोने के आभूषण/जेवरात टूटी हुई स्थिति में हैं और बैंक से इसे स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि भविष्य में इन आभूषणों को किसी भी तरह की क्षति होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

टूटे हुए सोने के आभूषण/जेवरात आइटम।

१.

२.

३.

### गोल्ड लोन के लिए काले मनकों वाली चेन जमा करने पर घोषणा

मैं/हम, इसके द्वारा पुष्टि करते हैं कि मैंने काले मनकों वाली सोने की चेन और अन्य आभूषण वस्तुओं के बदले गोल्ड लोन लिया है और इसे मेरी सहमति से जमा किया गया है। विस्तारित ऋण के विरुद्ध किसी भी डिफॉल्ट के मामले में, मैं उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बैंक को अन्य सोने के आभूषणों/जेवरात के साथ काले मनकों वाली चेन की नीलामी करने के लिए अधिकृत करता हूँ और मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

### एमएसएमई घोषणा (एमएसएमई लोन के लिए लागू)

मैंसर्स \_\_\_\_\_ के मैं/हम, प्रोप्राइटर/व्यक्ति घोषणा करता हूँ/करते हैं कि, मैंसर्स \_\_\_\_\_ के निर्माण/ट्रेडिंग/सेवाओं का कारोबार करती है।

कारोबार को चलाने के लिए प्रयुक्त प्लान और मशीनरी/इक्विपमेंट की मूल लागत/निवेश (सकल ब्लॉक) \_\_\_\_\_ (लगभग) था।

मेरे बिजनेस का टर्नओवर \_\_\_\_\_ है। पीएसएल वर्गीकरण के लिए बैंक के आदेश पर घोषणा पत्र दिया गया है।

### उद्यम पंजीकरण के लिए सहमति (यदि लागू हो)

भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के साथ पंजीकरण करवाने से सूक्ष्म उद्यमों को बैंक से कर्ज लेने और अन्य सरकारी सेवाओं तक बेहतर पहुंच में मदद मिल सकती है। सरकार ने एक विशेष प्रक्रिया को मंजूरी दी है जिसके माध्यम से बैंक अपने सूक्ष्म उद्यम ग्राहकों को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म ([www.udyamassist.gov.in](http://www.udyamassist.gov.in)) के साथ उनकी मूलभूत जानकारी (आधार सहित) साझा करके उद्यम पंजीकरण नंबर प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।

मैं/हम उद्यम पंजीकरण प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यक जानकारी साझा करने के लिए शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को सहमति प्रदान करते हैं।

कर्जदार का नाम:

### किसान (कृषि संबंधित) द्वारा घोषणा (नॉन-एग्री लोन पर लागू नहीं)

मैं/हम \_\_\_\_\_ इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं \_\_\_\_\_ एकड़ माप वाली

कृषि भूमि का किसान/बटाईदार/पट्टेदार हूँ। मैं पुष्टि करता हूँ कि जुटाई गई ऋण राशि का उपयोग कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।

निधि का उद्देश्य: कृषि एवं संबद्ध गतिविधियाँ

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सही है।

कर्जदार के हस्ताक्षर

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित

## संलग्नक जिनसे यह संबंधित हो

यह पुष्टि करने के लिए है कि मैंने/हमने मंजूरी के माध्यम से मुझे/हमें स्वीकृत क्रेडिट ऋण के संदर्भ में नीचे उल्लिखित खातों के संचालन के तहत देय राशि, देय तिथियों और हमारे कर्जदार खातों के एसएमए/एनपीए के रूप में वर्गीकरण से संबंधित अवधारणाओं को पत्र दिनांक \_\_\_\_\_ के माध्यम से समझ लिया है।

### परिभाषाएँ:

#### देय:

ऋण खाते का मूलधन/ इस पर लगाया गया ब्याज/कोई भी शुल्क जो ऋण की स्वीकृति संबंधी शर्तों और नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर देय है।

#### अतिदेय:

ऋण खाते का मूलधन/इस पर लगाया गया ब्याज/कोई भी शुल्क जो देय है लेकिन ऋण की मंजूरी की शर्तों के अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर जिसका भुगतान नहीं किया गया है। दूसरे शब्दों में, यदि इसका भुगतान बैंक द्वारा निर्धारित नियत तारीख पर नहीं किया जाता है तो किसी भी ऋण के तहत बैंक को देय हर राशि अतिदेय है।

#### कर्जदार के खाते में भुगतान के विनियोग में 'फर्स्ट इन फर्स्ट आउट' (एफआईएफओ) के सिद्धांत की प्रासंगिकता:

एफआईएफओ का सिद्धांत यानी, 'फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट' लेखांकन पद्धति एसएमए/एनपीए स्थिति निर्धारित करने के लिए अतिदेय दिनों की संख्या तक पहुंचने के लिए प्रासंगिक है। एफआईएफओ सिद्धांत मानता है कि ऋण खाते में सबसे पुराना बकाया पहले चुकाया जाना चाहिए। इस प्रकार एफआईएफओ विधि के लिए आवश्यक है कि जो पहले बकाया है उसका भुगतान पहले कर्जदार द्वारा किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि ०१.०२.२०२१ तक किसी ऋण खाते में कोई अतिदेय नहीं है और मूल किस्त/ब्याज/शुल्क के भुगतान के लिए X रुपये की राशि देय है, ऋण खाते में ०१.०२.२०२१ को या उसके बाद जमा किए जाने वाले किसी भी भुगतान का उपयोग ०१.०२.२०२१ को बकाया राशि का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

यह मानते हुए कि फरवरी माह के दौरान कुछ भी भुगतान नहीं किया गया है/या आंशिक भुगतान (Y रुपये) हुआ है, ०१.०३.२०२१ को अतिदेय X-Y रुपये होगा। इसके अतिरिक्त, ०१.०३.२०२१ को Z रुपये की राशि देय हो जाती है, अब ०१.०३.२०२१ को या उसके बाद खाते में किसी भी भुगतान/आंशिक भुगतान का उपयोग सबसे पहले ०१.०२.२०२१ के आंशिक देय का भुगतान करने के लिए किया जाएगा (X रुपये - Y रुपये) यदि X रुपये से अधिक वसूली होती है तो ०१.०२.२०२१ के बकाया की वसूली के बाद शेष राशि को ०१.०३.२०२१ के बकाया की वसूली के रूप में माना जाएगा।

#### सबसे पुरानी देय राशि की अवधि:

सबसे पुराने बकाया की अवधि की गणना उस तारीख से दिनों में की जाती है जिस दिन सबसे पुराना भुगतान बकाया है और वह अनपेड बनी रहती है। उपरोक्त उदाहरण में, यदि १ फरवरी २०२१ से संबंधित बकाया ०१.०३.२०२१ तक भुगतान नहीं किया जाता है, तो सबसे पुराने बकाया की अवधि होगी ०२.०३.२०२१ को २९ दिनों के रूप में गिना जाता है।

#### नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए):

नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) वह ऋण या अग्रिम है जहां सावधि ऋण के संबंध में ब्याज और/या मूलधन की किस्त ९० दिनों से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय रहती है।

#### स्पेशल मेंशन अकाउंट (एसएमए) और गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकरण

ऋण देने वाली संस्थाएं ऋण खातों में प्रारंभिक तनाव को डिफॉल्ट रूप से तुरंत पहचानकर उन्हें स्पेशल मेंशन अकाउंट्स (एसएमए) के रूप में वर्गीकृत करेंगी। एसएमए/एनपीए श्रेणी के वर्गीकरण का आधार इस प्रकार होगा:

| टर्म लोन की श्रेणी में ऋण |                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| एसएमए उप-श्रेणियाँ        | वर्गीकरण का आधार - मूलधन या ब्याज भुगतान या कोई अन्य राशि पूर्णतः या आंशिक रूप से अतिदेय |
| एसएमए-०                   | ३० दिन तक                                                                                |
| एसएमए-१                   | ३० दिन से अधिक और ६० दिन तक                                                              |
| एसएमए-२                   | ६० दिन से अधिक और ९० दिन तक                                                              |
| एनपीए                     | ९० दिन से अधिक                                                                           |

बकाया भुगतान में देरी/भुगतान न करने और बाद में दिन के अंत की प्रक्रिया में स्टैंडर्ड श्रेणी में अपग्रेडेशन के आधार पर किसी खाते को एसएमए श्रेणी से एनपीए श्रेणी में स्थानांतरित करने का उदाहरण:

**टर्म लोन की श्रेणी में ऋण**

| भुगतान देय तारीख | भुगतान की तारीख | भुगतान में शामिल राशि                                                                                 | दिनों में सबसे पुरानी देय राशि की अवधि | SMA/NPA वर्गीकरण | देय राशि से SMA/NPA वर्ग तारीख | NPA वर्गीकरण | NPA तारीख  |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------|------------|
| ०१.०१.२०२२       | ०१.०१.२०२२      | ०१.०१.२०२२ तक का संपूर्ण बकाया                                                                        | ०                                      | कुछ नहीं         | लागू नहीं                      | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
| ०१.०२.२०२२       | ०१.०२.२०२२      | ०१.०२.२०२२ तक का आंशिक बकाया भुगतान                                                                   | १                                      | एसएमए-०          | ०१.०२.२०२२                     | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
| ०१.०२.२०२२       | ०२.०२.२०२२      | ०१.०२.२०२२ तक का आंशिक बकाया भुगतान                                                                   | २                                      | एसएमए-०          | ०१.०२.२०२२                     | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
| ०१.०३.२०२२       |                 | ०१.०२.२०२२ का बकाया का पूरा भुगतान नहीं किया गया, ०१.०३.२०२२ का भी ईओडी ०१.०३.२०२२ का बकाया है.       | २९                                     | एसएमए-०          | ०१.०२.२०२२                     | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
|                  |                 | ०१.०२.२०२२ का बकाया पूरा भुगतान, देय ०१.०३.२०२२ के लिए ईओडी ०१.०३.२०२२ पर भुगतान नहीं किया गया        | १                                      | एसएमए-०          | ०१.०३.२०२२                     | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
|                  |                 | ०१.०२.२०२२ का पूरा बकाया का भुगतान नहीं एवं ०१.०३.२०२२ को ईओडी ०३.०३.२०२२                             | ३१                                     | एसएमए-१          | ०१.०२.२०२२/<br>०३.०३.२०२२      | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
|                  |                 | ०१.०२.२०२२ का बकाया पूरा भुगतान, ०१.०३.२०२२ को ईओडी पर ०१.०३.२०२२ को देय का पूरा भुगतान नहीं किया गया | १                                      | एसएमए-०          | ०१.०३.२०२२                     | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
| ०१.०४.२०२२       |                 | ०१.०२.२०२२, ०१.०३.२०२२ के बकाये का भुगतान नहीं और ईओडी ०१.०४.२०२२ पर ०१.०४.२०२२ को देय धनराशि         | ६०                                     | एसएमए-१          | ०१.०२.२०२२/<br>०३.०३.२०२२      | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
|                  |                 | ईओडी ०२.०४.२०२२ पर ०१.०२.२०२२ से ०१.०४.२२ तक बकाया का कोई भुगतान नहीं                                 | ६१                                     | एसएमए-२          | ०१.०२.२०२२/<br>०२.०४.२०२२      | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
| ०१.०५.२०२२       |                 | ईओडी ०१.०५.२०२२ पर ०१.०२.२०२२ से ०१.०५.२२ तक बकाया का कोई भुगतान नहीं                                 | ९०                                     | एसएमए-२          | ०१.०२.२०२२/<br>०२.०४.२०२२      | लागू नहीं    | लागू नहीं  |
|                  |                 | ईओडी ०२.०५.२०२२ पर ०१.०२.२०२२ से ०१.०५.२२ तक बकाया का कोई भुगतान नहीं                                 | ९१                                     | एनपीए            | लागू नहीं                      | एनपीए        | ०२.०५.२०२२ |

|            |            |                                                                         |    |                                      |           |       |                      |
|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------|-----------|-------|----------------------|
| ०१.०६.२०२२ | ०१.०६.२०२२ | ०१.०६.२०२२ ईओडी पर ०१.०२.२०२२ की देयता का पूरा भुगतान किया गया          | ९३ | एनपीए                                | लागू नहीं | एनपीए | ०२.०५.२०२२           |
| ०१.०७.२०२२ | ०१.०७.२०२२ | ०१.०७.२०२२ ईओडी पर ०१.०३.२०२२ और ०१.०४.२०२२ का पूरा देय बकाया चुका दिया | ६२ | एनपीए                                | लागू नहीं | एनपीए | ०२.०५.२०२२           |
| ०१.०८.२०२२ | ०१.०८.२०२२ | ०१.०८.२०२२ ईओडी पर ०१.०५.२०२२ और ०१.०६.२०२२ का पूरा देय बकाया चुका दिया | ३२ | एनपीए                                | लागू नहीं | एनपीए | ०२.०५.२०२२           |
| ०१.०९.२०२२ | ०१.०९.२०२२ | ०१.०९.२०२२ ईओडी पर ०१.०७.२०२२ और ०१.०८.२०२२ का पूरा देय बकाया चुका दिया | १  | एनपीए                                | लागू नहीं | एनपीए | ०२.०५.२०२२           |
| ०१.१०.२०२२ | ०१.१०.२०२२ | ०                                                                       | १  | बिना किसी अतिदेय के स्टैंडर्ड अकाउंट | लागू नहीं | एनपीए | ०१.१०.२०२२ से एसटीडी |

मैं/हम यह भी समझते हैं कि उपरोक्त कुछ उदाहरण समझाने के लिए हैं और सामान्य परिदृश्यों को कवर करने वाली प्रकृति में विस्तृत नहीं हैं, और ऊपर उल्लिखित विषयों पर आरबीआई द्वारा प्रदान किए गए आईआरएसीपी मानदंड और स्पष्टीकरण मान्य होंगे।

प्रेषक: श्री/सुश्री/मैसर्स:

(कर्जदार का नाम और पता)

कर्जदार के हस्ताक्षर

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित

तारीख: \_\_\_\_\_

जगह: \_\_\_\_\_

[illegible]



शिवालिक स्मॉल फाइनेन्स बैंक लिमिटेड

[illegible]

मैं एतद्द्वारा घोषणा और प्रमाणित करता हूँ कि:

- उपरोक्त अनुसूची में उल्लिखित आभूषण मेरे द्वारा किया जा चुका है।
- वह सोने से बने हैं और सकल वजन, शुद्ध वजन और मूल्यांकन अनुसूची में दिए गए विवरण के अनुसार हैं। मैं उपरोक्त मूल्यांकन की गारंटी देता हूँ।



रवीश एफडबल्यूसी १११

मूल्यनिर्धारक १ के हस्ताक्षर एम्प्लॉय कोड और स्टैम्प के साथ



ईशा एफडबल्यूसी ११२

मूल्यनिर्धारक २ के हस्ताक्षर एम्प्लॉय कोड और स्टैम्प के साथ

सिर्फ कार्यालय के उपयोग के लिए

| टर्म लोन की श्रेणी में ऋण |                 |            |              |            |                 |               |
|---------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|-----------------|---------------|
| सुरक्षा का मूल्य          | ऋण-मूल्य अनुपात | ऋण पात्रता | स्वीकृत राशि | आरओआई लागू | मान्य डिस्काउंट | आरओआई स्वीकृत |
| रु.                       |                 |            |              |            |                 |               |

### कर्जदारके हस्ताक्षर

ओटीपी द्वारा हस्ताक्षरित